सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रकरण संख्याः— 65/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :—24.03.2025

GCMS ID—2025/331

2025/48

बउनवान

1. गुणमाला पुत्री गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी पेच की बावडी।
2. नरेश कुमार आ. गुलाबचन्द जाति महाजन, निवासी पेच की बावडी।
3. शकुन्तला पत्नी स्वर्गीय गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी पेच की बावडी।
4. पदमकुमार आ. मोहनलाल जाति महाजन निवासी पेच की बावडी।
5. पवन कुमार आ. मोहनलाल जाति महाजन निवासी पेच की बावडी।
6. अंजना पुत्री मोहनलालजाति महाजन निवासी पेच की बावडीं।
7. सुलोचना देवी पत्नी स्वर्गीय मोहनलाल जाति महाजन निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज।

प्रार्थीगण

बनाम

1. केसरा पुत्र देवा जाति बैरवा निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली
2. खानीदेवी पत्नी भूरा जाति बैरवा निवासी पेच की बावडी तहसील हिण्डोली
2. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन

वकील अप्रार्थीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही।

आदेश दिनांक :—29.12.2025

प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या 71 ख.सं. 622/734 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, ख.सं. 622/760 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, ख.सं. 762/735 रकबा 0. 2833 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6754 हैक्टेयर वाके ग्राम पेचकीबावडी पटवार मण्डल पेचकीबावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज मे विस्थित है, जो प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है, प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निरन्तर निर्वाध 1 रूप से, काबिज क़ाश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण मय परिवार उक्त भूमि पर निर्भर है। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के समीप ही अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि ख.सं. 622/732,622/733 व अप्राथर्थी संख्या 2 622/735,622/761 व सिवायचक भूमि ख.सं. 622 स्थित है, अप्रार्थीगण बिना कारण प्रार्थीगण की भूमि के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश करते है, तथा अप्रार्थीगण कई बार सीमा सम्बन्धी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

विवाद करते है तथा प्रार्थीगण की भूमि के अन्दर अपनी भूमि होने का उज करते है, और आये दिन प्रार्थीगण की भूमियो की मेडो को हाक देते है, तथा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने की कुचेष्टा करते है, जबकि प्रार्थीगण अपने खाते मे दर्ज भूमि पर ही काबिज होकर काश्त करता आ रहे है। परन्तु अप्रार्थीगण अपनी भूमि की सीमा को पार कर जबरन प्रार्थीगण की भूमियो को अपनी भूमि बताकर अतिक्रमण करना चाहते है। तब प्रार्थीगष्ण ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश भू.अ./11/2021 दिनांक 15.6.2021 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा टीम गठित कर प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासीयान की मोजूदगी में किया गया तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवाने के बावजूद अप्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान को नहीं मान रहे है तथा अभी दिनांक 25.02.2025 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमियो पर जबरन कब्जा करने की कुचेष्टा की तथा धमकी दी कि हम सीमाज्ञान को नही मानते है. यही प्रार्थना पत्र का कारण है, जो निरन्तर चल रहा है। पत्थरगढ़ी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। यह कि प्रार्थीगण के पास सीमा सम्बन्धी विवादो के स्पष्ट समाधान हेतु प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि वाके ग्राम पेचकीबावडी तहसील हिण्डोली की पत्थरगढी करवाये। प्रार्थीगण पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या 71 ख.सं. 622/734 रकबा 0.5827 हैक्टेयर, ख.सं. 622/760 रकचा 0.8094 हैक्टेयर, सा.सं. 762/735 रकबा 0.2833 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.6754 हैक्टेयर वाके ग्राम पेचकीबावडी पटवार मण्डल पेचकीबावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. की पत्थरगढी अप्रार्थीगण व पुलिस की मोजूदगी में किये जाने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किए गए।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने से जबाव बन्द किए जाने के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 3 सरकार ने नियमानुसार राशि जमा कर आदेश पारित करने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहॉ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर निपटायेगा। भू–प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निपटाये जाऐंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियॉ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थीगण को सुना गया। बहस वकील प्रार्थीगण मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र के अनुसार रही।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत पर मनन किया। वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076–79 वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 71 के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 71 के खसरा संख्या 622/734 रकबा 0.5827 हैक्टैयर, खसरा संख्या 622/760 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, खसरा संख्या 762/735 रकबा 0.2833 हैक्टेयर वाके ग्राम पेंच की बावडी पटवार मण्डल पेंच की बावडी जिला बून्दी जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थीगण से नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थीगण व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढ़ी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446